न्यायालय लेण्डरिकोर्ड एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 58 / 2026
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 20.04.2026
निर्णय दिनांक : 29.04.2026

अनवान

1– श्रीमति विनोद देवी पत्नि प्रेमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी तुर्कियाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत्

उपस्थितः– अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह शक्तावत

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, आधिपत्य की भूमि ग्राम तुर्कियाखेडा पटवार हल्का बनेड़िया तहसील रेलमगरा के आराजी नम्बर **55, 56, 57, 62, 63,** स्थित है। प्रार्थी व पडौसी के मध्य आये दिन मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते रहते है इसी वजह से मौके पर आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर झगडा फसाद होता रहता है, उक्त विवाद समाप्त कराये जाने हेतु मौके पर पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि विपक्षी एवं प्रार्थी के मध्य बाड को लेकर मौके पर कोई विवाद पैदा नही होवें। मौके पर आये दिन डिर्माकेशन को लेकर पक्षकोरो के मध्य विवाद होता रहता है विवाद को समाप्त करने के लिए यह यही न्यायोचित होगा कि मौके पर पक्षकारों के मध्य भूमि कि नपती करायी जावे एवं नपती करने के बाद मौके की स्थिति के अनुसार मीनार लगाई जावे, ताकि प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य भविश्य मे इस प्रकार की विवाद उत्पन्न नही होवें।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 मे किया गया है, जिसके पडौस मे अन्य की भूमियो के मध्य स्थाई सीमांकन चिन्ह (पत्थरगढी) कराई जावे एवं मौके पर मीनारबन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 01 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी से प्रार्थी खातेदार होना जाहिर हैं एवं विपक्षी द्वारा भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हैं वैसे भी प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करने पुर्ण अधिकार है जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाने का योग्य पाता हुँ ।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम तुर्कियाखेडा पटवार हल्का बनेडिया तहसील रेलमगरा में प्रार्थी की आराजी नम्बर 55, 56, 57, 62, 63, भूमि के पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाते है पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो एंव मौके पर निर्माण नही हो वक्त पत्थरगढी किसी के कब्जे में दखल नही करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सिपुर्द नही किया जावे। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा, के न्यायालय में प्रस्तुत करें । वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये अदा करे। तहसीलदार रेलमगरा पालना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
लेण्ड रिकोर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर
रेलमगरा
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा